

प्रेषक,

भूपाल सिंह मनराल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

अपर सदस्य सचिव,
राज्य योजना आयोग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

नियोजन अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक: 16 दिसम्बर, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में पुनर्विनियोग की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर सचिव, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड के पत्र सं0-1493/तीन-1(10) रा0यो0आ/2016 दिनांक 17.10.2016 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय आय-व्ययक 2016-17 अनुदान संख्या-7 के अधीन लेखा शीर्षक-3451-092-03 के अन्तर्गत मद संख्या-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मानक मद में संलग्न बी0एम0-09(भाग-101) के अनुसार बचत को व्यावर्तित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु लेखाशीर्षक-3451-092-03 के अन्तर्गत मद संख्या-15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद मानक मद में रु0 600 हजार (रु0 छः लाख मात्र) अर्थात् कुल धनराशि की अतिरिक्त धनराशि के आहरण एवं व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि केवल उन्ही मदों पर व्यय की जायेगी जिनके लिये यह स्वीकृति की जा रही है।, चालू योजना पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई मदों के क्रियान्वयन के लिये नहीं किया जायेगा।
2. स्वीकृत कार्यों पर व्यय करते समय वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली एवं मितव्ययता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाएगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करके यथा आवश्यकता अनुसार ही व्यय किया जायेगा तथा व्यय का विवरण यथासमय प्रत्येक माह बी0एम0-13 पर शासन को उपलब्ध कराया जाए।
4. यह सुनिश्चित किया जाए कि शासन द्वारा उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त इस संबंध में अब तक जारी शासनादेशों का अनुपालन अधीनस्थ तक भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
5. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें, 092-अन्य कार्यालय एवं मद संख्या-15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद मानक मद के नामें डाला जायेगा।
6. ऑनलाईन बजट आवंटन/पुनर्विनियोग प्रपत्र की प्रति संलग्न है।
7. यह स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय सं0-185NP/XXVII(5)/16-17 दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोपरि

भवदीय,

(भूपाल सिंह मनराल)
अपर सचिव।

संख्या: 342(1)/XXVI/एक(5)/2016 तददिनांकित।

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़ देहरादून।
- 2- निदेशक, कोषागार, देहरादून।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- 4- वित्त अनुभाग-5 उत्तराखण्ड शासन।
- 5- एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 6- गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(प्रताप सिंह शाही)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
(वित्तीय वर्ष 2016-2017)
बी.एम. - 09

अनुदान संख्या - 007
पुनर्विनियोग स्वीकृति आदेश संख्या - One(5)/2016

अनोटमेंट आईटी - R1611070192
दिनांक - 28-Nov-2016

(In Rupees)

क्रम संख्या	वजट प्राविधान तथा लेखाविवरण (1)	मानक मद्दतार आध्यात्मिक न्यय (2)	वित्तीय वर्ष के अन्त में अनुमानित व्यय (3)	अवशेष संरक्षण समायोजित धनराशी (4)	शेखरीक विनये धनराशी स्थानान्तरित की जानी है (5)	पुनर्विनियोग के बाद स्वयम् -5 की कुल धनराशी (6)	पुनर्विनियोग के बाद स्वयम् -1 में कुल धनराशी	अभियुक्ति
1	3451 सचिवालय आर्थिक सेवार्थे 00 अन्त कार्यालय 092 निर्योजन अधिष्ठान 03 निर्योजन अधिष्ठान 00 निर्योजन अधिष्ठान (Non Plan Voted)	3028996	3871004	600000	3451 सचिवालय आर्थिक सेवार्थे 00 अन्त कार्यालय 092 अन्त कार्यालय 03 निर्योजन अधिष्ठान 00 निर्योजन अधिष्ठान (Non Plan Voted)	700000	6900000	
	16 - व्यावसायिक तथा विशेष म 7500000			600000	15 - गाड़ियां का अंतरक्षण और भूदान योग			
	योग			600000	योग			

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से वजट मैनुअल के परिच्छेद 133, 134 में उल्लिखित प्राविधानो एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

पुनर्विनियोग क्रिये जाने हेतु प्रपत्र 09 की मूल प्रति वित्तीय डाटा सेक्टर 23- राक्षी रोड डालनवाला, देहरादून को उपलब्ध करायी

(Signature)

रुम अडि-एफ


-2-


उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-5
संख्या 185/NPXXXVII(5)/2016-17
देहरादून: दिनांक 15 नवंबर, 2016

पुनर्विनियोग स्वीकृत।

सेवा में,
महालेखाकार,
उत्तराखण्ड,
आंबराय बिल्डिंग।

- संख्या: 342 (1) / XXXVI / एक(5) / 2016 तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
 - 2- वित्त अनुभाग-5 उत्तराखण्ड शासन।
 - 3- गार्ड फाईल


(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव, वित्त

आज्ञा से,

(मोहन सिंह मनराल)
अपर सचिव